Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 सितम्बर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज जयपुर में कार्यवाही करते हुये तरूण गुर्जर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म के लाईसेंस के नवीनीकरण करने की एवज में तरूण गुर्जर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर द्वारा **48 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरेश चौहान** एवं उनकी टीम द्वारा जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये तरूण गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल गुर्जर निवासी खातेड़ी मौहल्ला, शाहपुरा, दिल्ली रोड़, जयपुर हाल किरायेदार, शास्त्रीनगर, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत से पूर्व ही परिवादी से **10 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।